

## न्यायालय-सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)

// झापन //

क्रमांक 845 / न्या0 / 2020

जांजगीर, दिनांक 24 / 07 / 2020

लोक अभियोजक श्री संतोष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, द0प्र0सं0की धारा 439 के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र की केस डायरी दिनांक 28/07/2020 को श्रीमति नीता यादव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जांजगीर-चांपा के न्यायालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:

क्र0	आवेदक का नाम	थाना	अपराध क्रमांक	धारा	अधिवक्ता का नाम	अधिवक्ता का वाट्सअप मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5	6	7
1	शशि यादव वगैरह	अजाक	06 / 2020	294, 506, 323, 34 भदवि एवं 3 (2), (V-क)	श्री संजीव नामदेव	7587120507
2	दिनेश कुमार उर्फ छोटू	जांजगीर	312 / 2020	381, 411, 34	सुश्री परवीन बानो	9981473132

(राजेश श्रीवास्तव)

सत्र न्यायाधीश  
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

पृ0क0 846 / न्या0 / 2020

जांजगीर, दिनांक 24 / 07 / 2020

प्रतिलिपि

1. श्रीमति नीता यादव, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), जांजगीर-चांपा।
2. लोक अभियोजक जांजगीर श्री संतोष गुप्ता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जांजगीर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त अधिवक्ताओं को सूचित करें कि शंका को निवारित करने के आशय से यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी अधिवक्ता अपने मोबाईल (जिसमें 01 mbps इन्टरनेट क्षमता हो) से विडियो एप (Video app/Jitsi Meet App/Bluejeans App) के माध्यम से उचित गणवेश में अपने निवास/कार्यालय से विडियो कांफ्रेन्सिंग कर सकते हैं।

(राजेश श्रीवास्तव)

सत्र न्यायाधीश  
जांजगीर चांपा(छ0ग0)